(148)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 61–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला नीमच, प्रकरण कमांक 15/बी–103/धारा (33–40)/2013–14.

1– राजेन्द्रकुमार पिता नाहरसिंह राठौर
निवासी 143 पुलिस चौकी नीमच सीटी जिला नीमच
2– सुशील कुमार पिता नाहरसिंह राठौर,
निवासी 143 पुलिस चौकी नीमच सीटी जिला नीमच

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
जिला नीमच मध्यप्रदेश,
2– औंकारलाल पिता गुलाबचंदजी कुलमी
3– श्रीमती मानकुवंर पति स्व0शिवलालजी कुलमी,
4– बंशीलाल पिता स्व0शिवलालजी कुलमी,
5– निर्भयराम पिता स्व0शिवलालजी कुलमी,
6– देवीलाल पिता श्री जोधराज उर्फ जोधरामजी कुलमी,
7– दिनेश कुमार पिता श्री जोधराज उर्फ जोधरामजी कुलमी,
8– रामनिवास पिता श्री जोधराज उर्फ राजेधरामजी कुलमी,
9– हरदेव पिता श्री अमृतरामजी कुलमी,
10– भंवरीबाई पति अमृतरामजी कुलमी,
11– रामनिवास पिता श्री अमृतरामजी कुलमी,
निवासीगण ग्राम सेमलीचक तहसील व जिला नीमच
मध्यप्रदेश

.....प्रत्यर्थीगण

श्री के0सी0बसंल, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31/8/17 की पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 40(1)(ख) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त धारा के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा त्रुटिवश अधिनियम की धारा 47(4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर दी गई है । अतः अपील का निराकरण निगरानी में परिवर्तित कर किया जा रहा है इसलिये आगे अपीलार्थीगण को आवेदकगण एवं प्रत्यर्थीगण को अनावेदकगण कहा जायेगा ।

3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा रुपये 3,42,800/– के स्टाम्प लगाकर हक त्यागपत्र पंजीकृत करया गया । उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क कम देय होना पाते हुये अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दस्तावेज परिबद्ध कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजे गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–11–14 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 2,34,075/– तथा साथ ही आवेदकगण द्वारा शासन को राजस्व की हानि पहुँचाने का प्रयास किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 40(1)(ख) के अन्तर्गत कमी मुद्रांक शुल्क का दोगुना रुपये 4,68,150/– अर्थदण्ड भी अधिरोपित करते हुये कुल राशि 7,11,225/ जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहखातेदारों द्वारा बिना प्रतिफल लिये आवेदकगण के पक्ष में हक त्याग किया

गया है । इस स्थिति पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वर्ष 1983 से निरन्तर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है, अतः उसके द्वारा पर्याप्त मुद्रांक शुल्क अदा किया गया था, परन्तु उप पंजीयक द्वारा कम मुद्रांक शुल्क अदा किया जाना मानने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा शासन को किसी प्रकार की कोई राजस्व की हानि पहुँचाने का प्रयास नहीं किया गया है इसलिये उस पर अधिरोपित शास्ति भी विधि विरूद्ध है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज स्वत्व त्याग का नहीं होकर दान का विलेख है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 31 के अनुसार 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क, 1 प्रतिशत जनपद शुल्क एवं 0.25 प्रतिशत उपकर देय है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क पूर्णतः विधिसंगत है और चूंकि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति भी अपने स्थान पर उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर